

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक : ५२१७/शै०५०/ए-१


दिनांक : ०५/११/१६

विषय : डी.एड. इण्टर्नशिप २०१२-१३ को पूर्ण करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने बारे।

बोर्ड सचिव आदेश दिनांक २०.१०.२०१६ अनुसार निम्न वर्णित इण्टर्न को उसके नाम के सामने दर्शाए गए विद्यालय में अति विशेष कारणों से इण्टर्नशिप के न्यूनतम ९० कार्यदिवस पूर्ण करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की गई है :

Roll No.	Intern Name	Alloted School/Block/District
5310181568	Meenu	GPS Dharampura Basti/Gohana/Sonipat

उक्त वर्णित इण्टर्न को पत्र जारी होने की तिथि के ५ महीने के अन्दर-अन्दर इण्टर्नशिप के न्यूनतम ९० कार्यदिवस पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इण्टर्न को केवल इण्टर्नशिप के न्यूनतम ९० कार्यदिवस पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है। अतः विद्यालय मुखिया इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ही इण्टर्न के ९० कार्यदिवस पूर्ण होते हैं तो पूर्व निर्धारित फॉर्मूले अनुसार ग्रेड का आंकलन करते हुए ग्रेड इण्टर्न के डी.एड. सस्थान को भिजवाएंगे।


सहायक निदेशक (शैक्षिक)
कृते : सचिव

प्रतिहस्ताक्षर
संबंधित ख.मौ.शि.अ.